

## सराहनीय कार्य दिनांक 31.01.2025

थाना निगोही पुलिस व अपराध शाखा की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 623/2023 धारा 363/302/201/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट, मे वांछित अभियुक्त अमर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर व क्षेत्राधिकारी अपराध के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक निगोही के नेतृत्व मे व अपराध शाखा शाहजहांपुर द्वारा थाना निगोही पर वादी श्री सुरेश कुमार पुत्र रामलाल निवासी ग्राम हरसेली थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 623/24 धारा 363 भादवि बाबत वादी की पुत्री को स्कूल से भगा कर ले जाने के सम्बन्ध मे बनाम अभियुक्तगण 1. अध्यापक अमर सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम चन्चौरा थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर 2. सचिन पुत्र राजेश भुर्जे 3. अमन पुत्र ब्रह्मपाल धोबी निवासीगण ग्राम हरसेली थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर 4. कालेज प्रबन्धक रामबरन वर्मा पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अपहृता का शव का कंकाल 07.03.2024 मे श्यामपाल सिंह निवासी ग्राम हरसेली थाना निगोही से बरामद हुआ था । दौराने विवेचना प्राप्त साक्ष्यों व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 302/201/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई थी। उक्त मुकदमे से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त अमर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम चन्चौरा थाना निगोही जिला शाहजहांपुर को दिनांक 31.01.2025 को समय 11.30 बजे हरपरा मोड़ थाना निगोही से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार शाहजहांपुर भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अमर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चन्चौरा थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 28 वर्ष

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

मु0अ0सं0 623/2024 धारा 363/302/201/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक अपराध शाखा सुजाउर रहीम जनपद शाहजहांपुर
2. का0 2762 कर्मवीर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर
3. का0 2762 मोहित कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर